

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)
घरेलू/व्यवसायिक जल-संयोजन हेतु
आवश्यक नियम एवं शर्तें

- 1 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- 2 घोषणा पत्र
- 3 नगर पालिक निगम, बिलासपुर में रजिस्टर्ड नलकार द्वारा तैयार किया गया स्थल मानचित्र
- 4 सम्पत्तिकर अदायगी संबंधी रसीद (कनेक्शन प्राप्त करने के एक माह पूर्व का)
- 5 भवन/मकान निर्माण संबंधी अनुज्ञा की प्रति
- 6 जल संयोजन हेतु आवश्यक शुल्कों का विवरण निम्नानुसार है –
 - अ) स्थायी जल संयोजन – 1215.00 रु. प्रति नग
 - ब) रोड कटिंग
 - (1) डब्लू.बी.एम. – 300.00 रु. प्रति नग
 - (2) सी.सी.रोड – 500.00 रु. प्रति नग
 - (3) डामर रोड – 700.00 रु. प्रति नग
 - स) अवैध जल संयोजन को नियमितिकरण हेतु – 1515.00 रु. प्रति नग
 - द) मासिक जलकर शुल्क हॉफ इंच पाईप
 - (1) घरेलू – 100.00 रु. प्रति माह
 - (2) व्यवसायिक – 200.00 रु. प्रति माह
 - (3) निर्माण कार्य हेतु – 200.00 रु. प्रति माह

नोट :- समयानुसार उपरोक्त दरों में वृद्धि की जा सकेगी।

7 संयोजन हेतु निगम द्वारा लायसेंस प्राप्त नलकारों के नाम एवं पता निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम	मोबाईल नं.	पता
1	श्री आर.एस. मुरारका	98271 59970	इमलीपारा बस स्टैण्ड के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
2	श्री अनिल घोष	94252 19350	मुन्नुलाल स्कूल के बाजू में, बिलासपुर (छ.ग.)
3	श्री संजय मुरारका	98271 59970	इमलीपारा बस स्टैण्ड के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
4	श्री प्रफुल्ल कुमार	93012 81293	सरकण्डा माता चौक के पास, बिलासपुर (छ.ग.)
5	श्री ब्रजेश गुप्ता	98933 30820	हनु ट्रेडर्स सीपत रोड सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)
6	श्री महर्षि साहू	99079 46182	रामायण चौक चांटीडीह, बिलासपुर (छ.ग.)
7	श्री प्रमोद निर्मलकर	93006 07615	27 गुरु विहार, नया सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)
8	श्री महेन्द्र कुमार सूर्य	92292 84360	ब्रह्मस्पति बाजार मिशन स्कूल के पास, बिलासपुर
9	श्री अरूण कुमार सिरिया	90396 89239	मेनरोड दयालबंद गुरुनानक स्कूल के पास
10	श्री देवेन्द्र कोरी	.	सकरी

निजी जल व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र

प्रार्थी का नाम

पिता का नाम व जाति

पूरा पता

नलकर का नाम

मकान क्रमांक वार्ड क्रमांक मोहल्ला

मालिक/किरायेदार पावती क्रमांक

दिनांक (मकान कर की संलग्न प्रतिलिपि)

पहली मंजूरियां जो हुई - (अकाउन्ट नं. देवे)

आवश्यकताये

जिस उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया है :-

घरेलू कार्य के लिए / बगीचे की सिंचाई के लिए / उद्योग कार्य के लिए/निर्माण कार्य के लिए
में/निम्न हस्ताक्षरकर्ता निम्नांकित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है।

1. नल विभाग द्वारा सुझाये जाने वाले पानी के लिए बनाए गए नियमों का पालन करूंगा।
2. नल के पानी का मैं केवल सद्भाव कार्य के लिए ही उपयोग करूंगा। यदि मैं इन नियमों का उल्लंघन करूंगा तो नल विभाग के नियमानुसार दण्ड का पात्र रहूंगा।
3. मुझे ज्ञात है कि मीटर लगाना अनिवार्य है। (अ) मैं स्वयं मीटर संदुकची का प्रबन्ध नल विभाग के नियमानुसार करूंगा या (ब) मुझे नल विभाग द्वारा दिए गये मीटर व संदुकची मंजूर है। उसका मासिक किराया, जमानत या कीमत नल विभाग के नियमानुसार दूंगा।
4. मुझे ज्ञात है कि जल वितरण के बंद करते समय की परिस्थिति अनुसार प्रबन्ध करने के नल विभाग के सारे अधिकार सुरक्षित है।
5. नल लगाने के उपयोग में लाये जाने वाले सामान की जाँच करने का नल विभाग को अधिकार है तथा निम्न कोटि के सामान को अयोग्य ठहराने का अधिकार है।
6. कानूनी कठिनाइयां तथा सुझाव आवेदनकर्ता नल विभाग द्वारा ही सुलझाये जावेंगे। कोई सामुहिक कार्यवाही करने पर आवेदनकर्ता को नल की सुविधा से वंचित किया जा सकेगा।
7. मैंने नल विभाग के नियमों को पढ़ा है। उन्हें अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उसका पूरा पूरा पालन करूंगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नल की सुविधा से वंचित किया जा सकूंगा तथा नल विभाग का निर्णय मुझे मान्य होगा।
8. बिल के भुगतान के सारे नियम मुझे मान्य हैं तथा उनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा।
9. नल व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अनुमति के बिना नहीं होगा।
10. मकान नं. का मालिक/किरायेदार हूँ और मैं उस मकान में जल कनेक्शन हेतु पूरी तरह जिम्मेदार हूँ।

नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

-: घोषणा पत्र :-

जल प्रदाय विभाग

मैं/हम पिता का नाम
मुहल्ला मेरा/हमारा खुद/ धर्मार्थ समिति की देख रेख में घर नं.

.....इंच आकार फेरूल/औद्योगिक/मीटर या बिना जल विभाग बिलासपुर के अधिकारियों द्वारा जल संयोजन स्वीकृति होने पर मैं स्वयं जल प्रदाय विभाग के नियमों एवं समय-समय पर होने वाले संशोधनों को मानने हेतु बाध्य हूँ जिसके लिए निम्नानुसार घोषणा पत्र भरता हूँ।

1. निजी जल संयोजन हेतु छपे हुए पत्र में दर्शाए गए कार्य के लिए जल प्रदाय विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जल संयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में मैं पानी का उपयोग करूंगा तो उसके परिणाम का (जल विच्छेद आदि जैसा कि जल प्रदाय नियम में विस्तारपूर्वक होगा) भागीदार रहूंगा।
2. ऊपर दर्शाये अनुसार इंच आकार जल संयोजन मैं/हम लगाये इंच आकार निजी / विभागीय मीटर किराये का मेरे द्वारा भुगतान किया जावेगा। उसकी मरम्मत और देखरेख की जवाबदारी मेरे/हमारे ऊपर रहेगी जब कभी मीटर बिगड़ेगा मैं / हम जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सुझाये गये अनुसार तुरन्त मीटर बनाने की कार्यवाही करूंगा / करेंगे।
3. जल देयक में दर्शाये गये अंतिम तिथि तक मेरे द्वारा जल देयक का भुगतान किया जावेगा भुगतान नहीं करने की दशा में जल संयोजक, विच्छेद करने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात मेरे / हमारे द्वारा बकाया राशि का भुगतान न होने पर नगर पालिक निगम जल विच्छेदकर सकती है और बकाया राशि को वसूली अर्थ दण्ड के साथ मेरे प्रतिभूति (अमानत राशि) रूपया से जल विभाग वसूल कर सकती है अथवा यदि अमानत राशि से रकम अधिक हो जाय तो वह मेरे भू-राजस्व से वसूल कर सकती है।
4. जल प्रदाय विभाग के नियमानुसार प्रारंभ में बिना अनुमति लिये किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/ रद्दोबदल नहीं किया जावेगा।
5. मेरे मकान की जहाँ उपरोक्त जल संयोजन है अन्दाजन कीमत नगर पालिक निगम के निर्धारित मकान टैक्स के अनुसार रूपया है।
6. मेरे सब इच्छा के अनुसार यदि मैं उपरोक्त खंड 5 में दर्शाये गये जायदाद को बेचना चाहूँ तो नगर पालिक निगम जल विभाग का जो भी पिछला बकाया रकम होगा उसे पूर्ण रूप से चुका दूंगा और निर्धारित प्रपत्र में उसकी पावती प्राप्त कर लूंगा।
7. मैं/हम समय-समय पर निर्धारित किये गये जल कर को पटाने हेतु बाध्य होऊंगा किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करूंगा/करेंगे।
8. मैं/हमारे द्वारा विभाग से जल की मात्रा (क्वालिटी) किस्म समय में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूंगा/किया जायेगा।
9. अन्य जटिल मामले में आयुक्त नगर पालिक निगम का निर्णय मानने के लिए बाध्य होऊंगा।
10. मीटर बन्द की दशा में जल कर नियम 6 के अनुसार फेरूल से उस अवधि में निकल सकने वाली संभावित पानी की मात्रा पर जो भी नगर पालिक निगम के हि में होगा पटाने हेतु बाध्य होऊंगा।

मैं/ हम शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि ऊपर लिखित शर्तों का मैंने / हमने पढ़कर। सुनकर (यदि ग्राहक अनपढ़ है), मैं / हम उसे मानने के लिए बाध्य है और इसके विपरित नहीं जायेंगे। इस स्वीकार पत्र के कोरे स्थानों पर की गई प्रविष्टियां मेरे जानकारी से सही है आज दिनांक को इस स्वीकार पत्र में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया।

गवाह

आवेदक के हस्ताक्षर

1.

घर नंबर

2.

धन्धा.....